न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण 4/16 तारीख रज्जू 21-10-16

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

वीर बहादुर सैन पुत्र रामगोपाल सैन उम्र 47 वर्ष जाति नाई निवासी एच–120 रिको इण्ड0 एरिया खेरदा सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्त्ता) मैसर्स जय भवानी मसाला भण्डार चूडी मार्केट बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर। –अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 31.8.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 25.06.2016 को समय 11.00 ए.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स जय भवानी मसाला भण्डार चूडी मार्केट बजरिया सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर पर पहॅचा वहां पर वीर बहादुर सैन पुत्र रामगोपाल सैन उम्र 47 वर्ष जाति नाई निवासी एच–120 रिको इण्ड0 एरिया खेरदा सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया, एवं आवेदक द्वारा विकेता से खाद्य खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी, विकेता द्वारा मोके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नही होना बताया तत्पश्चात विकेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विकय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (Loose)** लगभग 22 किलोग्राम एक कट्टे में दुकान में रखी हुई थी के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं. 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर खाद्य करोबार कर्त्ता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहां। जिसे खाद्य करोबार कर्त्ता ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में खाध विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस 2053/एक्ट/2016/2606 दिनांक 21.07.2016 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (Loose) Contravence Regulation No. 2.3.14 (15) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011** का उल्लधंन पाया गया। विकेता द्वारा **Contravence Regulation No. 2.3.14 (15) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011** खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (Loose)** का विकय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (v) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय वकील उपस्थित हुआ। अभियोजन अधिकारी एव अभियुक्त को सुना गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा **Contravence Regulation No. 2.3.14 (15) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulatio 2011** खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (Loose)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (v) का उल्लंघन किया है। अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर निवदेन किया कि उक्त जुर्म अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व 2011 की जानकारी न होने के कारण हुई है तथा न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस 2053/एक्ट/2016/2606 दिनांक 21.07.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (Loose)** को **Contravence Regulation No. 2.3.14 (15) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulation 2011** पाया गया है, साथ ही अभियुक्त ने दौराने बहस अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (v) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्तगण को **Contravence Regulation No. 2.3.14 (15) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on sales) Regulatio 2011** खाद्य पदार्थ **Lal Mirch Powder (Loose)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त को 3,000 रूपये (तीन हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.8.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर